97

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 111-पांच/92 विरूद्ध आदेश दिनांक 31-3-92 पारित द्वारा अपर आयुक्त,सागर संभाग, सागर प्रकरण क्रमांक 483/अ-19(4)/90-91.

चन्द्रभान तनय कपूरसिंह यादव,
निवासी भियांताल तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 ----- आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0 डी0 शर्मा ।
अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री बी0एन0 त्यागी ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 16-8-2018 **को पारित)**

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, के प्रकरण क्रमांक ायुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 483/अ-19(4)/90-91 में पारित आदेश दिनांक 31-3-92 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/अ-19/88-89 में पारित आदेश दिनांक 4-4-90 द्वारा आवेदक को ग्राम भियांताल तहसील राजनगर स्थित भूमि खसरा नं. 166/1, 173 एवं 174/1 रकबा क्रमशः 0.567, 0.080 एवं 1.319 हैक्टर का व्यवस्थापन म0प्र0 शासन की दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध अधिनियम)

1984 के तहत किया गया । तहसील न्यायालय के उक्त आदेश को 10 माह उपरांत स्वमेव निगरानी में लेते हुए आदेश दिनांक 10-7-91 द्वारा निरस्त किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 31-3-92 द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिये गये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा 2-10-1984 के काफी समय पूर्व से चला आ रहा है तथा उसका नाम राजस्व अभिलेखों में कब्जेदार के रूप में अंकित है । विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 1984 के पूर्व से आधिपत्य होने के आधार पर आवेदक को पात्र पाते हुए प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन किया गया था । विचारण न्यायालय के आदेश में कोई अनियमितता या अवैधानिकता न होने के बावजूद अपर कलेक्टर द्वारा उक्त आदेश को स्वमेव मनमाने में लेते हुए मनमाने तौर पर निरस्त किया है ।

यह तर्क दिया गया है कि आवेदक अशिक्षित ग्रामीण व्यक्ति है उसके द्वारा तहसील न्यायालय में विधिवत आवेदन पेश किया गया था यदि उक्त आवेदन में प्राप्ति आदि का दिनांक एवं पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं तो उक्त तकनीकि त्रुटि के लिए आवेदक को दंडित करना न्यायसंगत नहीं था । दिनांक आदि अंकित नहीं है

यह तर्क दिया गया है कि बंटन/व्यवस्थापन के बाद आवेदकों ने काफी धन एवं श्रम लगाकर पड़त भूमि को समतल बनाया है तथा कृषि योग्य बनाया है सिंचाई के साधन किये हैं । यदि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि की गई थी तो उक्त त्रुटि के कारण आवेदकों को वंचित करना न्यायोचित नहीं है । इस संबंध में उनके द्वारा 2009 आर.एन. 251 इंदरसिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन का हवाला दिया गया है । उक्त आधारों पर आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग युक्तियुक्त समय के भीतर ही किया जा सकता है और युक्तियुक्त अवधि कुछ माह ही हो सकती है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1998(1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26,

न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (माननीय उच्च न्यायालय पूर्णपीठ) (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन) एवं अन्य न्यायदृष्टांतों का हवाला दिया गया है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि तहसीलदार, राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/अ-19/88-89 में पारित आदेश दिनांक 4-4-90 द्वारा आवेदक को ग्राम भियांताल तहसील राजनगर स्थित भूमि खसरा नं. 166/1, 173 एवं 174/1 रकबा क्रमशः 0.567, 0.080 एवं 1.319 हैक्टर का व्यवस्थापन म0प्र0 शासन की दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध अधिनियम) 1984 के तहत किया गया है । अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के उक्त आदेश को इस आधार पर कि 2-10-84 को आवेदक का कब्जा प्रश्नाधीन भूमि पर था या नहीं इसका परीक्षण नहीं किया गया है उसके विरूद्ध अतिक्रमण का प्रकरण कब-कब चला तथा कितना जुर्माना हुआ इसका कोई उल्लेख नहीं है इत्यादि के आधार पर निरस्त किया गया है । अभिलेख को देखने से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर कलेक्टर का जो आदेश है वह विधिसम्मत एवं न्यायसंगत नहीं है । अपर आयुक्त के अभिलेख में खसरे की प्रति संलग्न है जिसमें 1983-84 में आवेदक का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जेदार के रूप में अंकित है, इससे यह प्रमाणित होता है कि आवेदक को 2-10-84 को प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा था । यदि तहसीलदार द्वारा कोई तकनीकि त्रुटि की गई थी तो उस आधार पर आवेदक को न्याय से वंचित करना उचित नहीं है । हसीलदार द्वारा भूमि का व्यवस्थापन करने के उपरांत आवेदकों द्वारा कब्जा लेने के बाद उन्होंने अकृषि योग्य भूमि को श्रम व धन व्यय कर कृषि योग्य बनाया गया है ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी के अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऐसी भूमि को 14 वर्ष उपरांत पुनः शासकीय घोषित करना न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है । न्यायदृष्टांत 2009 आर. एन. 251 (इंदर सिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन) में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया

गया है कि " भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा 50 - भूमि आदिवासी/आवेदकगण को आवंटित की गई - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गलतियां की गई हैं ।"

6/ प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए तथा आवेदक की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में उक्त अवधि युक्तियुक्त अवधि नहीं मानी जा सकता है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 एवं न्यायदृष्टांत न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) अवलोकनीय है । न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में म0प्र0 उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि - " भू-राजस्व संहिता, म0प्र0 (1959 का 20) धारा - 50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो ।" उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त के प्रकाश में कलेक्टर द्वारा प्रारंभ की गई स्वमेव निगरानी की कार्यवाही तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं विधिसम्मत नहीं है, अतः स्थिर नहीं रखे जा सकते हैं ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त, सागर संभाग, द्वारा प्रकरण कमांक 483-अ/19(4)/90-91 में पारित आदेश दिनांक 31-3-92 तथा अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 41-अ-19(4)/90-91 में पारित आदेश दिनांक 10-7-91 अवैधानिक होने से निरस्त किए जाते हैं । तहसीलदार

को निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदकगण का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में अंकित किया जाये ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर